नगर परिषद रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2017 तक

भाग – एक

1 (क) प्रारंम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होनें व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-378/81- फिन(एल॰ए॰) खण्ड –IV,दिनांक 18.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौपें जाने के दृष्टिगत नगर परिषद रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2017 तक नगर परिषद रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के प्रधान तथा कार्यकारी अधिकारी के पद पर निम्न वर्णित कार्यरत **थे:-**

(1) प्रधान

क्र. सं.	**विवरण**	**अवधि**
1	श्री राधेश्याम शर्मा	01.04.2015 से 31.3.17 तक

(2) कार्यकारी अधिकारी

1	श्री गुरमीत जी॰ नेगी	01.04.2015 से 31.03.17 तक

(ख) नगर परिषद रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2015 से 03/2017 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संबन्धित सार	पैरा संख्या	राशि (₹)
1	सावधि जमा पर देय ब्याज कम प्राप्त/ जमा करना	5.1	0.93
2	अनुदानों की शेष राशि का उपयोग न करना	6.1	268.68
3	अनुदानों से संबन्धित उपयोगिता प्रमाणपत्र अंकेक्षण में उपलब्ध न करना	6.2	252.13
4	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) के अंतर्गत प्राप्त अनुदान की राशि को उपयोग न किए जाने के कारण राशि निदेशक शहरी विकास विभाग हि.प्र. को वापिस न लौटाना	6.3	2.43
5	गृहकर, सफाई कर की राशि वसूली हेतु शेष	8.2	316.30
6	दुकानों के देय किराए की राशि वसूली हेतु शेष	8.4	5.20
7	मोबाईल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	8.8	0.33
8	हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 53(1) (ग) के प्रावधानों के विपरीत संस्थापना पर अनाधिकृत व्यय करना	9.1	94.04
9	गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान।	9.2	2.19
10	पैंशन एवं ग्रैचुइटी निधि को नगर परिषद निधि से अंशदान का कम हस्तांतरण करना	10.1	5.65
11	लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों को दिये गए विज्ञापनों हेतु किए गए भुगतानों से 15% कमीशन की कटौती न करके सरकारी राजस्व हानि	12	0.13
12	मोबाइल फोन प्रतिपूरक भत्ते का अधिक भुगतान	13	0.02
13	निर्माण कार्य की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	14.1	0.60
14	विभिन्न निर्माण कार्यों में माप की गणना सम्बन्धी अनियमितताओं के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान	14.2	0.59
15	संविदाकारों के निर्माण कार्यों के भुगतान बिलों से रायल्टी की कटौती न किए जाने के कारण अनुचित लाभ देना	14.3	0.55
16	माप की गणना की त्रुटि के कारण संविदाकार को अधिक	14.4	0.04

	भुगतान		
17	**विभागीय निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल** के अन्तर्गत अनियमित रूप से अधिक भुगतान करना	14.6	0.20
18	क्रय की गई निर्माण सामग्री से नियमानुसार वाइडस (Voids) की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान	14.7	0.09
19	सरकारी दर/दर संविदा पर सीमेंट का क्रय न करने के कारण अधिक व्यय करना	14.8	0.87
20	निर्माण कार्यों को तीन/पाँच लाख से कम भागों में बांटने के कारण अनियमित व्यय करना	14.9	6.64
21	संविदाकारों के चलित बिलों से श्रम उपकर की कटौती न करना	14.10	0.20
22	संविदाकारों के चलित बिलों से कम दर से बिक्रीकर की कटौती किए जाने के कारण राजस्व हानि	14.12	0.20
23	डीजल स्टॉक रजिस्टर में 68 लीटर डीजल की अधिक खपत दर्शाये जाने के कारण वित्तीय हानि	15	0.03

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई हैं। प्रायः यह देखने में आया हैं कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्धारा कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जा रही हैं जो अत्यंत चिंताजनक हैं। अतः नगर परिषद प्रशासन इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/ कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके ।

भाग -द्धितीय

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2017 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गए हैं, दिनांक 12.03.2018 से 29.03.2018 तक श्री अनिल शर्मा, श्री रविंदर सिंह तथा श्री सोम राज कपूर अनुभाग अधिकारी द्वारा नगर परिषद रोहड़ू के कार्यालय में किया गया। विस्तृत अंकेक्षण करने हेतु आय के लिए मास **02/2016** और **06/2016** एवं व्यय के लिए मास **12/2015** और **05/2016** का चयन किया गया।

"वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰, नगर परिषद रोहड़ू द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।"

3. अंकेक्षण शुल्क :-

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹48000.00 आंका गया। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जिला शिमला को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26/2018 दिनांक 29.03.2018 द्वारा अनुरोध किया गया था।

4. वित्तीय स्थिति

नगर परिषद रोहड़ू की अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखो की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैं, जिसका बैंक समाधान विवरणिका सहित विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क-1"** पर दिया गया हैं ।

FINANCIAL POSITION IN R/O Municipal Council, ROHRU(H.P.)							
YEAR	**Source**	**OPENING BALANCE (₹)**	**RECEIPT DURING THE YEAR (₹)**	**Interest Received (FDR & Savings) (₹)**	**TOTAL (₹)**	**TOTAL PAYMENTS (₹)**	**CLOSING BALANCE (₹)**
2014-15	Own Sources	3290348.60	3678247.00	0.00	6968595.60	2826774.85	4141820.75
	GIA	13756531.00	12165902.00	0.00	25922433.00	10186102.00	15736331.00
	Total	17046879.60	15844149.00	0.00	32891028.60	13012876.85	19878151.75
2015-16	Own Sources	4141820.75	2582511.05	1023131.00	7747462.80	3935440.85	3812021.95
	GIA	15736331.00	15666222.00	0.00	31402553.00	12072233.00	19330320.00
	Total	**19878151.75**	**18248733.05**	**1023131.00**	**39150015.80**	**16007673.85**	**23142341.95**

2016-17	Own Sources	3812021.95	3681896.16	514442.32	8008360.43	3310401.25	4697959.18
	GIA	19330320.00	23383622.00	0.00	42713942.00	15846089.00	26867853.00
	Total	**23142341.95**	**27065518.16**	**514442.32**	**50722302.43**	**19156490.25**	**31565812.18**

5. सावधि निवेश

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट-"ख"** के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को₹11191710 की राशि सावधि जमा योजना में निवेश की गई थीजिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं

FDR HDFC Bank Account 1127405	2200000.00
FDR HP STATE CO-OPERATIVE BANK Rohru Account 1127405	991710.00
FDR HP STATE CO-OPERATIVE BANK Rohru Account 0027008	6000000.00
FDR HP STATE CO-OPERATIVE BANK Rohru Account 0027009	2000000.00
Total	**11191710.00**

5.1 सावधि जमा पर ₹0.93 लाख ब्याज के रूप में कम प्राप्त/जमाकरना

सावधि जमा के अंतर्गत निवेशित विभिन्न राशियों एवं उन पर प्राप्त ब्याज की राशि का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्धारा एच॰डी॰एफ॰सी॰ बैंक में सावधि जमा खाता संख्या: 365340 व 20691 के अन्तर्गत क्रमश: ₹2000000/- व ₹2200000/- को बारह मास की अवधि के लिये निवेश किया था तथा इन राशियों को अपेक्षित परिपक्वता की तिथि की अपेक्षा आगामी तिथियों अर्थात विलम्ब से परिपक्व (Matured) करवाया गया था परन्तु बैंक द्वारा बारह मास के आधार पर पूर्व निर्धारित तिथियों तक ही ब्याज की राशि का भुगतान किया गया था। जिसके कारण निम्न विवरणानुसार ब्याज के रूप में कुल ₹93396 नगर परिषद के पक्ष में कम जमा/प्राप्त हुई, जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अत: कम प्राप्त/जमा ब्याज की राशि को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसे संबन्धित बैंक से शीघ्र प्राप्त करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवायाजाए:-

खाता सं0	जमा की तिथि	राशि (₹)	ब्याज की दर	अवधि	परिपक्वता की अपेक्षित तिथि	परिपक्वता की वास्तविक तिथि	अपेक्षित परिपक्वता राशि (₹)	वास्तविक परिपक्वता राशि (₹)	कम प्राप्त राशि (₹)
365340	06-8-14	2000000	9%	12 मास	07-8-15	20-1-16	2275650	2186705	88945
20691	20-1-16	2200000	7.65%	12 मास	21-1-17	31-1-17	2378164	2373713	4451
कुल योग									**93396**

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02/2018 दिनांक 13.03.2018 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ूने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

6. अनुदान

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अनुदानों का विस्तृत विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ग"** पर संलग्न किया गया हैं। जिसकी जाँच करने के दौरान निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः-

6.1 दिनांक 31.03.2017 तक अनुदान ₹268.68 लाख का उपयोग हेतु शेष

परिशिष्ट- ग में वर्णित विभिन्न अनुदानों की वित्तीयस्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अनुदानों की ₹2,68,67,853 दिनांक 31.03.2017 को उपयोग करने हेतु शेष थी जिसका उपयोग न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो इन अनुदान राशियों का स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाए अन्यथा सम्बन्धित विभाग को इन्हें वापिस लौटाया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों से संबन्धित ₹252.13 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाना

परिशिष्ट "ग" में वर्णित GIA से संबन्धित विवरण की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान अनुदानों से क्रमशः ₹12072233 और ₹15846089 व्यय किए गए थे तथा जिस में से केवल ₹22,22,113.00 के उपयोगिता प्रमाण पत्र ही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए जबकि निम्न विवरणानुसार **शेष** व्यय ₹2,52,12,801 के उपयोगिता प्रमाण पत्र अधियाचना सं. 01/2018 दिनांक 13.03.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था किन्तु जिन्हे अंकेक्षण समाप्ति तक उपलब्ध नहीं करवाया गया। अत: वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

व्यय किए गए अनुदानों की राशि से संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न करवाये जाने का विवरण

वर्ष 2015-16 के दौरान व्यय की गई राशि	12072233.00
वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय की गई राशि	15846089.00
व्यय की गई राशि जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण दल को प्रस्तुत किए गए।	2222113.00
निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि.प्र. शिमला को SJSRY के संदर्भ में वापिस की गई राशि।	483408.00
GIA की व्यय की गई राशि जिसके संदर्भ में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किए गए।	25212801.00

6.3 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) के अंतर्गत प्राप्त अनुदान की राशि को उपयोग न किए जाने के कारण ₹2.43 लाख प्राप्त राशि से अधिक **निदेशक शहरी विकास विभाग हि.प्र. को वापिस** लौटाना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई अनुदानों की सूचना को पड़ताल करने पर पाया गया कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) के अंतर्गत प्राप्त

अनुदान की राशि को उपयोग न किए जाने के कारणनिदेशक, शहरी विकास विभाग हि.प्र. के पत्र संख्या UD-H(F)(1)-10/97-1-3489 दिनांक 19.05.2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार वापिस लौटाया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निदेशक शहरी विकास विभाग, हि.प्र. से SJSRY शीर्षक के अंतर्गत अवधि 2015-16,2016-17 और पूर्व के वर्षों में कुल ₹483408/- प्राप्त की गई थी जबकि वाऊचर संख्या 35 दिनांक 17.12.2016 के अंतर्गत ₹726178 निदेशक शहरी विकास विभाग हि.प्र. वापिस लौटाई गई थी जोकि निम्नविवरणानुसार ₹242770 अधिक थी। अत: SJSRY शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त राशि से अधिक राशि की वापिसी को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली हेतु मामला निदेशक शहरी विकास विभाग हि.प्र. से उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएः–

विवरण	राशि (₹)
अवधि 2015-16,2016-17 और पूर्व के वर्षों में प्राप्त स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) के अंतर्गत प्राप्त अनुदान की राशि	483408.00
वाऊचर संख्या 35 दिनांक 17.12.2016 के अंतर्गत निदेशक शहरी विकास विभाग हि.प्र. को वापिस की गई राशि (NEFT/RTGS)	726178.00
निदेशक शहरी विकास विभाग हि.प्र. को अधिक वापिस की गई राशि	242770.00

7. दोहरी लेखा पद्धति को लागू न करना :-

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र सं. UD –H(C)-15-49/2003-III 3332-3379 DT. 25.03.2009, UD –H(C)-15-49/2003-III 9337-9385 DT. 07.09.2009, और पत्र सं. UD –H(C)-15-49/2003-IV 5215-63 DT. 19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से रख–रखाव किया जाए किन्तु वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लेखा खातों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद

रोहड़ू द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करके अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अत: निदेशक, शहरी विकास विभाग हि.प्र. के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखापद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाया जाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के आधार पर बनाया जाना तुरन्त सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03/2018 दिनांक 13.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ूने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

8. आय:-

8.1 स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income fromown Sources) की कम प्राप्ति

अंकेक्षण में पाया गया कि अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income fromown Sources) स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में निम्नविवरणानुसार कम प्राप्त हुई थी जो कि एक अत्यन्त गंभीर वित्तीय अनियमितता है, क्योंकि स्वीकृत बजट प्रावधान अनुसार ही आय एकत्रित की जानी चाहिए थी जिस लक्ष्य को प्राप्त करने में परिषद विफल रहीं । अत: स्वीकृत बजट प्रावधानों की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income fromown Sources) कम प्राप्त करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार ही आय प्राप्त करने हेतु भरसक प्रयास किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वित्तीय वर्ष	अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income from own Sources) हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान (₹)	अपने संसाधनों से प्राप्त वास्तविक आय(Income from own Sources) (₹)	बजट प्रावधान की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त की गई कम आय (Income from own Sources) (₹)
2015-16	5150000	2582511.05	2567488.95
2016-17	4050000	3681896.16	368103.84

8.2 दिनांक 31.03.2017 तक ₹316.30 लाख गृहकर व सफाई कर की वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण के दौरान गृहकर, सफाईकर से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 को **₹31629526** वसूली योग्य शेष थी, जिसका सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट- घ** में एवं संक्षिप्त ब्यौरा निम्न दिया गया हैं:-

क्र. सं.	विवरण	वसूली योग्य राशि (₹)
1	गृह कर	29669406.00
2	सफाई कर	1960120.00
	कुल योग	**31629526.00**

निदेशक शहरी विकास, हि. प्र. के पत्र सं. यू.एल.बी.एच.(ए)(7)-1 /87-9237-9284 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार करों की शतप्रतिशत वसूली अपेक्षित थी। अत: निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के आदेशों के अनुसार करों की वसूली न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही वर्णित राशि की वसूली हेतु अति शीघ्र ठोस कदम उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.3 गृहकर / संपति कर की मूल्यांकन सूची (Assessment list) में हि.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के अनुसार आवश्यक संशोधन न करना

हि.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्ष के उपरांत हाऊस टैक्स/संपति कर के संबंध में मूल्यांकन सूची में (Assessment List)

वर्तमान स्थिति अनुसार आवश्यक सशोंधन किए जाने अपेक्षित है। अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद रोहड़ू द्वारा परिषद क्षेत्र में गृहकर / संपतिकर दिनांक 01.01.1988 से अधिरोपित किया गया था तथा इस प्रकार धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार पाँच वर्ष के उपरांत वर्ष 1993-94 में तथा उसके उपरान्त समय–2 पर गृहकर मूल्यांकन सूची (Assessment List) में आवश्यक संशोधन अपेक्षित थे, परंतु नगर परिषद द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः नियमों की अनदेखी कर के नियमित समय पर मूल्यांकन सूची (Assessmentlist) में आवश्यक संशोधन न करना एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त वर्णित प्रावधानानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03/V/2018 दिनांक 13.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना सेअंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएगा।

8.4 दिनांक 31.03.2017 को दुकानों के देय किराए की ₹5.20 लाख वसूली हेतु शेष

दिनांक 31.03.2017 तक निम्नविवरणानुसार ₹520160 की राशि दुकानों से किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थी, जिसकी वसूली हेतु तुरन्त ठोस कदम उठाये जाने सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

Shop Rent

Year	Opening Balance (₹)	Demand During the year (₹)	Total (₹)	Amount Received during the year (₹)	Closing Balance (₹)
2015-16	902365.00	971532.00	1873897.00	1060077.00	813820.00
2016-17	813820.00	1121818.00	1935638.00	1415478.00	520160.00

8.5 दुकानों से संबन्धित प्रस्तुत विभिन्न अभिलखों का अंकेक्षण में अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार सभी दुकानों के साथ नगर परिषद द्धारा किए गए किराये से संबन्धित अनुबन्ध माह 09/2016 में ही समाप्त हो गए थे तथा वर्ष 2016 के उपरांत

वर्तमान समय तक किसी भी किराये के अनुबन्ध का नवीनीकरण (Renew) नहीं किया जबकि नियमानुसार किराये के अनुबन्ध का नवीनीकरण (Renew) वार्षिक आधार पर किया जाना अपेक्षित है। अत: वार्षिक आधार पर दुकानों का किराया अनुबन्ध नवीनीकरण न किए जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा सभी दुकानों का अनुबन्ध वार्षिक आधार पर किराये वृद्धि एवं दण्ड प्रावधानों सहित नवीनीकरण(Renew)किया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

किरायेदारों का विवरण जिनका किराया अनुबन्ध मार्च 2017 तक नवीनीकरण नहीं किया गया था।

Sr. No.	Name of shopkeeper	Shop No.	Due date of Renewal of Agreement	Remarks
1	Sh. Jagdish Singh	61	09-2016	Due to court case
2	Sh. Subedar Singh	70	09-2016	------do-------
3	Sh. Sardara Singh	88	09-2016	------do-------
4	Sh. Laxmi Chand	10	09-2016	Due to death
5	Sh. Sia Ram	17	09-2016	------do------
6	Sh. Sita Ram	60	09-2016	------do------
7	Sh. Ram Murti	23	09-2016	Not residing here
8	Sh. Mohinder Singh	31	09-2016	Due to death
9	Sh. Sarwan Singh	48	09-2016	Not residing here
10	Sh. Kurpu Ram	55	09-2016	Due to death
11	Sh. Jiwa Ram	86	09-2016	Not residing here
12	Sh. Sardara Singh	88	09-2016	Not residing here
13	Sh. Kashmiri Lal	89	09-2016	Due to death
14	Sh. Rulda Ram	90	09-2016	Not residing here

8.6 बिजली उप-कर माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल. एस. जी. –(डी)(1)-9/94,दिनांक 01.12.99 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद

द्वारा नगर परिषद क्षेत्र की परिधि में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा हि.प्र. बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना आपेक्षित हैं। अंकेक्षण में प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2015-16 , 2016-17 के दौरान निम्नविवरणानुसार **₹187800** H.P. STATE ELECTRICITY BOARD से बतौर बिजली उपकर प्राप्त हुई थी। परन्तु नगर परिषद द्वारा स्वत: स्पष्ट बिजली शुल्क माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वर्ष 2015-16 से 2016-17 के दौरान बिजली उपकर की कितनी राशि हि. प्र. बिजली बोर्ड से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी और कितनी राशि प्राप्त की गई हैं और कितनी राशि मार्च 2017 तक बिजली बोर्ड से प्राप्त की जानी शेष है । अत: स्वत: स्पष्ट बिजली शुल्क माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर शीघ्र तैयार करते हुए उस में वर्षानुसार बिजली शुल्क की माँग एवं प्राप्ति का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

Year	**Amount of Electricity Cess Received (₹)**	**G8 No. Date/ Cash Book P.No.**
2015-17	187800.00	74/7304 Dt. 15.07.2016, 59
Total	**187800.00**	

8.7 शराब उप-कर माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर को तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू.एल.बी. –एच(सी)(9)-28/96-1,दिनांक 01.12.99 के अनुसार नगरपरिषद क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों में बिकने वाली शराब की बोतलों पर ₹1.00 प्रति बोतल की दर से आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा संबन्धित स्थानीय निकायों को शराब उपकर भुगतान किया जाना अपेक्षित था, परंतु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए निम्न विवरण अनुसार **₹14,55,633** आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला हि.प्र. से शराब उपकर शीर्षक के अंतर्गत परिषद को प्राप्त हुई थी, किन्तु नगर परिषद द्वारा वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान शराब की बोतलों की बिक्री का विवरण, आबकारी एवं कराधान विभाग

शिमला हि.प्र. से प्राप्त नहीं किया गया था, जिसके अभाव में प्राप्त राशि के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण मे नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त अभिलेख कि पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा स्वत: स्पष्ट शराब उपकर माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला हि.प्र. से वर्षानुसार शराब उपकर की कितनी राशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी और कितनी राशि प्राप्त की गई और कितनी राशि मार्च 2017 तक प्राप्त की जानी शेष है। अत: स्वत: स्पष्ट शराब उपकर माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर शीघ्र तैयार करते हुए उस में वर्षानुसार शराब उपकर की माँग एवं प्राप्ति का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

Year	**Amount of Liquor Cess Received (₹)**	**Cash Book P.No. & Date**
2015-16	359520.00	69 Dt. 31.07.2015
	194213.00	69 Dt. 31.07.2015
	157306.00	69 Dt. 31.07.2015
	82846.00	69 Dt. 31.07.2015
2016-17	396754.00	51 Dt. 27.06.2016
	86465.00	51 Dt. 27.06.2016
	178529.00	51 Dt. 27.06.2016
Total	**1455633.00**	

8.8 मोबाईल टावर शुल्क ₹0.33 लाख वसूली हेतु शेष

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र सं. DIT-Dev-IT-2005(Misc), दिनांक 22.08.2006 और निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के पत्र सं. यू.डी.-एच.(ए)(7)-1/2006-10396-10445-46 दिनांक 25.09.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल टावर लगाने हेतु ₹10000.00 स्थापना शुल्क तथा ₹5000.00 वार्षिक नवीनीकरण शुल्क आरोपित किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक पाँच वर्षों के उपरान्त वार्षिक नवीनीकरण शुल्क में 25% की वृद्धि की जानी भी अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत मोबाईल टावर रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 तक मोबाईल टावर शुल्क की निम्नविवरणानुसार

₹32500 वसूली हेतु शेष थी। अतः मोबाईल टावर शुल्क की बकाया राशि की वसूली न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए नवीनीकरण शुल्क की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाएः–

क्र. सं.	विवरण	वसूली योग्य राशि(₹)
1	Mobile Tower Fee	**32500.00**
Total		**32500.00**

9. संस्थापना

9.1 हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 53(1) (ग) के प्रावधानों के प्रतिकूल संस्थापना पर ₹94.04 लाख का अनाधिकृत व्यय करना

हि.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 53(1)(ग) के अनुसार "संस्थापना पर व्यय, नगर पालिका क्षेत्र के व्यय के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा" अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद के स्थापना व्यय की पड़ताल पर पाया गया की वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान निम्नविवरणानुसार ₹**9404106** का संस्थापना पर उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत अनाधिकृत व्यय किया गया था। अतः वर्णित प्रावधानों के विपरीत संस्थापना पर अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाए जाने के अतिरिक्त आगामी वर्षो के दौरान संस्थापना पर व्यय उपरोक्त धारा के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जाएः-

S.No.	Period	Total Expenditure out of Municipal Fund	Expenditure on Establishment	% of Establishment Expenditure to the Total Expenditure out of Municipal Fund	Admissible expenditure on Establishment i.e 1/3rd of total Expenditure out of Municipal Fund	Irregular Expenditure on Establishment out of Municipal Fund
1	04/2015 to 03/2016	3935440.85	5259429.00	134%	1311813.62	3947615.38
2	04/2016 to 03/2017	3310401.25	6559958.00	198%	1103467.08	5456490.92
	Total		**11819387.00**		**2415280.70**	**9404106.30**

9.2 कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹2.19 लाख के वेतन व भत्तों का अनियमित रूप से अधिक भुगतान

प्रधान सचिव (वित), हिमाचल प्रदेश द्धारा अधिसूचना संख्या: फिन(पी0आर0)-बी0(7)-64/2010लूज़ दिनांक 24-9-2012 के अन्तर्गत अधिसूचित कैटागिरी/पोस्ट-वाइज़ संशोधित वेतनमान नियम-2012 के नियम 5(ii) व पत्र संख्या: फिन(पी0आर0)-बी0(7)-64/2010-III दिनांक 01-9-2015 द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार दिनांक 01-10-2012 तथा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के पक्ष में सम्बन्धित बैंड पे के न्यूनतम स्त्तर व ग्रेड पे के आधार पर मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा न कि H.P. civil Sercices (PP) Rules 2008 की सम्बन्धित पे बैंड व ग्रेड पे के विरूद्ध अनुसूची में दर्शाए गये प्रारम्भिक वेतन (Initial Pay) को अंकेक्षण के दौरान विभिन्न कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं व वेतन बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद में कार्यरत श्री सुनील कुमार , कनिष्ठ अभियन्ता तथा श्री राजु राम , सहायक प्रारूपकार की अनुबन्ध आधारित सेवाओं को कार्यालय आदेश संख्या: यू0डी0-एच0(बी)(1)-6/99-5824-25 दिनांक 30-6-2015 के अन्तर्गत नियमित किया गया था तथा उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा दिनांक 01-7-2015 को अपराह्ण में पद का कार्यग्रहण किया गया । यथानुसार नियमित सेवाओं हेतु इन कर्मचारियों का उपरोक्त नियम 5(ii) के अनुसार मूल वेतन निर्धारण करके दिनांक 02-7-2015 से वेतन का भुगतान किया जाना अपेक्षित था परन्तुइसके विपरीत इन कर्मचारियों के पक्ष में अशुद्ध रूप से सम्बन्धित बैंड पे व ग्रेड पे के विरूद्ध अनुसूची में दर्शाए गए प्रारम्भिक वेतन (Initial Pay) को ही मूल वेतन मानते हुये दिनांक 01-7-2015 से वेतन का भुगतान किया गया । उपरोक्त के अतिरिक्त श्री राजु राम, सहायक प्रारूपकार का वेतन निर्धारण अधिसूचना संख्या: फिन(पी0आर0)-बी0(7)-64/2010 दिनांक 27-9-2012 के क्रम 8 पर अधिसूचित पे बैंड की बैंड पे व ग्रेड पे के आधार पर किया गया जबकि यह वर्णित अधिसूचना के अधिक्रमण में जारी शुद्धिपत्र संख्या: फिन(पी0आर0)-बी0(7)-64/2010

दिनांक 02-12-2013 के अनुसार उक्त वर्णित अधिसूचना दिनांक 24-9-2012 व 01-9-2015 में विनिर्दिष्ट नियम के आधार पर किया जाना अपेक्षित था। वर्णित अनियमितता के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट-ङ1 & ङ2** पर संलग्न गणना शीट के अनुसार कुल ₹219119 ("क"179563+"ख"39556) के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया है जो कि अनियमित है। अत: उक्त समस्त प्रकरण में अनियमित रूप से किए गये वेतन के अधिक भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की सम्बंधित कर्मचारियों से शीघ्र वसूली करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

उपरोक्त के संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21/2018 दिनांक 22.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

9.3 कर्मचारियों के अवकाश खातों को पूर्ण न करना:-

केन्द्रीय सेवा नियम (अवकाश) 1972 के नियम 26 (1)(a)(i) के प्रावधान के अनुसार कर्मचारियों के अवकाश खातों को प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी एवं प्रथम जुलाई को दो किश्तों में एडवांस क्रेडिट देते हुये पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न कर्मचारियों के संदर्भ में अवकाश खातों को पूर्ण नहीं किया गया है जोकि अनियमित है। अत: कर्मचारी के अवकाश खाते को पूर्ण करने हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

Sr. No	Name of employee	Designation	Period for which earned leave account not Completed	Period for which H.P.L. leave account not Completed
1	Kanshi Ram	Driver	1.7.2016 to 31.3.2017	1.8.2010 to 31.3.2017
2	Suneel Kumar	J.E	1.8.2015 to 31.3.2017	1.8.2015 to 31.3.2017

3	Mahinder	Saffai Karamchari	1.7.2016 to 31.3.2017	1.2.2013 to 31.3.2017
4	Sh.Shiv Charan	Saffai Karamchari	1.7.2016 to 31.3.2017	1.10.2007 to 31.3.2017
5	Smt Ram kali	Baldar	1.3.2017 to 31.3.2017	1.3.2017 to 31.3.2017
6	Keshav ram	Baldar	1.3.2017 to 31.3.2017	1.3.2017 to 31.3.2017
7	Vijay	Saffai Karamchari	1.7.2016 to 31.3.2017	1.8.2007 to 31.3.2017
8	Anoop Kumar	Driver	1.12.2013 to31.3.2017	1.12.2013 to31.3.2017
9	Yoginder	Saffai Karamchari	1.7.2016 to 31.3.2017	1.7.2002 to 31.3.2017
10	Babloo	Saffai Karamchari	1.1.2016 to 31.3.2017	1.8.2007 to 31.3.2017
11	Rakesh	Saffai Karamchari	1.1.2016 to 31.3.2017	1.8.2007 to 31.3.2017

9.4 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख रखाव नियमानुसार न करना

हिमाचल प्रदेश वितीय नियम 1971 के नियम 7.14 एवम 7.15 के प्रावधानो के अनुसार सेवा पंजिकाओं में कर्मचारियो से संबन्धित विवरण जैसे कि अर्जित अवकाश स्वीकृति आदेश, वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश, तबादला आदेश, पदोन्नति आदेश, सेवाकाल सत्यापन की प्रविष्टि दर्ज की जानी अपेक्षित हैकिन्तु अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियो की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में सेवा पंजिकाओं का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है । अत: कर्मचारियो की सेवा पंजिकाओं का रख रखाव नियमानुसार न करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा निम्न वर्णित प्रकरणों सहित अन्य इसी प्रकार के सभी प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए-

Sr. No	Name of employee	Designation	Remarks
1	Sanjeev Branta	Jr. Assistant	Annual increment order not Mentioned in Service book and other enteries reg. service Verification and pay fixation etc have not been verified by the Competent Authority.
2	Kushal chand	Peon	Annual increment order not Mentioned in Service book and other enteries reg. service Verification and pay fixation etc have not been verified by the Competent Authority.

3	Yogishwer lal	peon	Annual increment order not Mentioned in Service book and other enteries reg. service Verification and pay fixation etc have not been verified by the Competent Authority.
4	Raju ram	Assistant Drafsman	Annual increment order not Mentioned in Service book ,leave sanction /verification of service order not verified in service book

10. पैंशन फ़ंड

अंकेक्षण अवधि के दौरान पैंशन फ़ंड की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट- च** के अनुसार निम्न प्रकार से थीः-

FINANCIAL POSITION IN R/O OF PENSION FUND OF Municipal Council, ROHRU, Distt. Shimla (H.P.)

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	TOTAL PAYMENTS	CLOSING BALANCE
2014-15	2281918	478058	2759976	0	2759976
2015-16	2759976	579055	3339031	0	3339031
2016-17	3339031	156744	3495775	749588	2746187

10.1 पैंशन एवं ग्रैचुइटी निधि में ₹5.65 लाख का नगर परिषद के अंशदान के रूप में कम हस्तांतरण करना

Himachal Pradesh Municipal Employees(Pension Gratuity & GPF Rules 2000 के नियम (3) के अनुसार "The Municipality Shall make monthly Contribution towards Pension & Gratuity Fund @12% and 5% respectively on the maximum of the time Pay Scale of Employees of Municipality".

इसके अतिरिक्त अवधि 01.09.2009 से संशोधित वेतनमान की बकाया राशि के भुगतान के साथ-2 देय पैंशन एवं ग्रैचुइटी निधि के संशोधित अंशदान को भी पैंशन एवं ग्रैचुइटी निधि में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 01.01.2006 से 31.10.2009 तक संशोधित वेतनमान लागू होने के कारण उक्त अवधि का निम्नविवरणानुसार देय ₹564604 का पैंशन एवं ग्रैचुइटी को संशोधित अंशदान पैंशन एवं ग्रैचुइटी निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹564604 को पैंशन

एवं ग्रैचुइटी निधि में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07/2018 दिनांक 15.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना सेअंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

(i) Arear of Pension contribution w.e.f. 01.01.2006 to 31.10.209. (46 months)

Name of posts	No. of posts	Pay scale in unrevised scale (₹)	Pay Band in the revised scale(₹)	Pension contribution due @12% in revised scale(₹)	Pension contribution due @12% in unrevised scale(₹)	Difference (₹)	Total amount due for contribution in pension fund (No. of posts x difference x No. of months) (₹)
Astt.	1	5000-8100	10300-34800	4176	972	3204	3204x46= 147384.00
Peon	2	2520-4140	4900-10640	1277	497	780	780x2x46= 71760.00
S.K.	5	2520-4140	4900-10640	1277	497	780	780x5x46= 179400.00
TOTAL (i)							**398544.00**

(ii) Arear of Gratuity contribution w.e.f. 01.01.2006 to 31.10.2009. (46 months)

Name of posts	No. of posts	Pay scale in unrevised scale(₹)	Pay scale in the revised scale(₹)	Gratuity contribution due @5% in revised scale(₹)	Gratuity contribution due @5% in unrevised scale(₹)	Difference (₹)	Total amount due for contribution in Gratuity fund (No. of posts x difference x No. of months) (₹)
Astt.	1	5000-8100	10300-34800	1740	405	1335	1335x46= 61410.00
Peon	2	2520-4140	4900-10640	532	207	325	325x2x46= 29900.00
S.K.	5	2520-4140	4900-10640	532	207	325	325x5x46= 74750.00
TOTAL (ii)							**166060.00**
Grand Total (i) & (ii)							**564604.00**

10.2 सामान्य भविष्य निधि,पैंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख-रखाव नियमानुसार न किया जाना।

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG B91)-1/79/III दिनांक 25.04.2000 द्धारा Himachal Pradesh Municiapalities Employees (Pension,Gratuity & general Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए थे तथा इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया हैं कि नगरपालिका के कर्मचारियों को पैंशन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक, द्वारा पैंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ-साथ इस का रख-रखाव भी किया जायेगा और उप नियम 3 में प्रावधान अनुसार सभी नगरपालिकाऐ कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम पर क्रमश: 12% तथा 5% की दर से पैंशन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान पैंशन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करेगी। नगर परिषद के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख-रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर परिषद द्वारा ही किया जा रहा था जोकि Himachal Pradesh Municiapalities Employees (Pension,Gratuity & general Provident Fund) Rules 2000 की सरासर अवहेलना हैं। अत: यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता हैं।

10.3 सामान्य भविष्य निधि से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹3.04 लाख का अनियमित भुगतान

अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय एवं अदायगी के वाऊचरों का अंकेक्षण पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को कार्यकारी अधिकारी द्धारा सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम भुगतान/आहरण की स्वीकृतियाँ प्रदान की गई थी। जबकि Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension,Gratuity &General Provident Fund) Rules 2000 के नियम 13(i) मे स्पष्ट प्रावधान किया गया हैं कि “The advances withdrawals and Final Payment from GPF shall be sanctioned by the Director”.अत: कार्यकारी अधिकारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अंतिम भुगतान/आहरण की राशियाँ उक्त वर्णित

नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित थी। जिसे अब सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

Detail of GPF Withdrawl Statement of M.C. Rohru

Date of withdrawl	Name of Officials	GPF No.	Amount of withdrawl (₹)
07.04.2015	Sh. Mahinder -1	8730079394	50,000.00
05.06.2015	Sh. Yogeshwar lal	8730079493	57,000.00
10.08.2015	Sh. Yoginder Singh	8730077815	70,000.00
14.10.2016	Sh. Yoginder Singh	8730077815	57,000.00
07.12.2015	Sh. Shiv Charan	8730079743	30,000.00
08.10.2016	Sh. Shiv Charan	8730079743	39,948.00
Total			**303,948.00**

11. ग्रेच्युटी फ़ंड

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्रेच्युटी फ़ंड की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट-छ** के अनुसार निम्न प्रकार से थी-

Financial Positionin R/O Gratuity Fund of Municipal Council Rohru, Distt. Shimla, H.P.

Year	Opening Balance	Receipt During the Year	Total	Total Payment	Closing Balance
2014-15	1057848	203493	1261341	0	1261341
2015-16	1261341	238032	1499373	0	1499373
2016-17	1499373	102616	1601989	206448	1395541

12 लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापनों हेतु किए गए भुगतानों से 15% कमीशन की कटौती न करके सरकारी राजस्व को ₹0.13 लाख की वित्तीय हानि

सूचना एंव लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्रसंख्या-2006/01-15 pub-92-14263 दिनांक 30-08-2006 व पत्र संख्या 1 & PR-H(F)-4(APP)/2013 दिनांक 5-7-2013 में दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागो, बोर्ड, कार्पोरेशन द्वारा दिये जाने वाले सभी

प्रकार के विज्ञापन सूचना एंव लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाए जाने अपेक्षित है तथा विज्ञापन सूचना एंव लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से न छपवाये जाने की स्थिति में विज्ञापन की एवज में भुगतान की जाने वाली राशि मे से 15% कमीशन के रूप में कटौती करके हि.प्र. सरकार के आय शीर्षक 300-60-220 में जमा करवाया जाना आपेक्षित था। वितीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान विभिन्न व्यय वाउचरो का अंकेक्षण पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विज्ञापन के रूप में **परिशिष्ट- ज** में दिए विवरण अनुसार ₹86522 का भुगतान सीधे विभिन्न फार्मों एवं व्यक्तियों को किया गया था न कि लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से जो कि सरकार के उक्त वर्णित निर्देशों की अवेहलना होने के कारण अनियमित है। चूंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्त के अनुसार यदि विज्ञापन पर व्यय की गई राशि सूचना एंव लोकसम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से व्यय नहीं की गई थी इसलिए भुगतान से पूर्व विज्ञापन पर व्यय की गई राशि मे से 15% की दर से कमीशन के तौर पर कटौती करके ₹12978 (₹86522/- X 15%=₹12978/-) की कमीशन राशि को हि.प्र. सरकार के आय शीर्षक 300-60-220 में जमा करवाया जाना आपेक्षित था। परंतु नगर परिषद द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिसके कारण हिमाचल प्रदेश सरकार को परोक्ष रूप से ₹12978 के राजस्व हानि हुई है। अत: वर्णित राजस्व हानि को या तो न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04/2018 दिनांक 15.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 से सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

13 नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को मोबाइल फोन प्रतिपूरक भत्ते के रूप में ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना /अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी को मोबाइल फोन प्रतिपूरक भत्ते के रूप में प्रति माह ₹1000/- का भुगतान किया जा रहा था जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग, प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: यू०डी०-एच०(जी०)-(3)-7/86-IV-15817-15867, दिनांक 16.11.2015 के अनुसार यह भुगतान दो माह में एक बार देय था। परिणामस्वरूप नगर परिषद द्वारा कार्यकारी अधिकारियों को मोबाइल फोन प्रतिपूरक भत्ते के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹2000 का अधिक भुगतान किया गया जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अतः अधिक भुगतान की राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

Vr. No./ Dt.	Period for which Mobile Charges was paid	Amount Per Month Paid	Amount Admissible per month	Excess Amount paid
6 of 12/2015	Nov.2015	1000.00	500.00	500.00
05 of 01/2016	Dec.2015	1000.00	500.00	500.00
05 of 03/2016	Feb.2016	1000.00	500.00	500.00
05 of 05/2016	April 2016	1000.00	500.00	500.00
Total				**2000.00**

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06/2018 दिनांक 15.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ूने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

14 निर्माण कार्य

14.1 अनुबन्ध की मद संख्या 3 i.e.P/L heavy duty inter lock pavers M-50 grade की प्रमात्रा की गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.60 लाख का अधिक भुगतान (वाऊचर संख्या 30 दिनांक 25.3.2017 ₹735893)

कार्य का नाम	Providing cement concrete pavers in upper bazaar Rohru at R.D 0/0 to 405 Phase-1
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	22/38 to 40
अनुबंध संख्या/आबंटन पत्र संख्या	Mc/works/2017/ 1015 to 1018 dated 3.3.2017
संविदाकार का नाम	Sh. Santosh Kumar
रनिंग बिल संख्या	1st Running bill

निर्धारित मानको के अनुसार **CCInter Lock Paver Tiles** के प्रकरण में **CCInter Lock Paver Tiles** को मजबूती प्रदान किए जाने के लिए **CCInter Lock Paver Tiles** के दोनों तरफ CC 1:3:6 की लेयर डाली जाती हैं जिससे **CCInter Lock Paver Tiles** को दोनों तरफ से पकड़ मिल सके। इस प्रकार जिस मात्रा के लिए CC 1:3:6 निष्पादित की जायेगी वहाँ पर **CCInter Lock Paver Tiles** नहीं लगाई जायेगी। अत: वर्णित निर्माण कार्य में CC 1:3:6 की निष्पादित कार्य मात्रा को **CCInter Lock Paver Tiles** की निष्पादित कार्य प्रमात्रा मे से कम करके, **CCInter Lock Paver Tiles** की मात्रा का भुगतान संविदाकार को किया जाना चाहिए था किन्तु उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलित बिलका अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या **4 i.e. P/L cement concrete 1:3:6 side packing for Pavers** जिस मात्रा में निष्पादित की गई थी उसी मात्रा के लिए अनुबन्ध की मद संख्या **3 i.e. P/L heavy duty inter lock pavers M-50 grade** का भी भुगतान किया गया था जो कि तय मानकों के विरुद्धहोने के कारण अनियमित है। अतः इस प्रकार संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्या **3 i.e. P/L heavy duty inter lock pavers M-50 grade** हेतु निम्न विवरणानुसार ₹60000 का अधिक भुगतान किया गया था जिसको या तो न्यायोचित

ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

Detail of Items	Qty.	Rate (₹)	Total Amount (₹)
Qty. of item No. 3 i.e P/L heavy duty inter lock pavers M-50 grade Paid & Executed up to 1st Running Bill as MB No. 22 P.No.39	483.75 m^2	1250.00 per m^2	604687.50
Qty. of item No. 4 i.e P/L CC 1:3:6 for side packing paid & Executed up to 1st Running Bill as MB No. 22 P.No.39 (120x2x0.20x0.10=4.80m^3)	4.80m^3		
Qty. of item No. 4 i.e P/L CC 1:3:6 for side packing that should be deducted from the Item No. 3 i.e P/L heavy duty inter lock pavers M-50 grade before making the payment to the Contractor. (120X2X0.20)	48m^2		
Net Qty. of Item No. 3 i.e P/L heavy duty inter lock pavers M-50 grade Paid up to 1st Running Bill (483.75m^2 -48m^2)	435.75 m^2	1250.00 per m^2	544687.50
Excess payment made to Contractor in respect of item No. 3 i.e P/L heavy duty inter lock pavers M-50 grade up to 1st Running Bill (48 m^2 X1250)			60000.00

उपरोक्त के संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 23/2018 दिनांक 23.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना सेअंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

14.2 Retaining Wall निर्माण के विभिन्न प्रकरणों में निर्धारित मानकों से अधिक Horizontal Bottom Bond की ऊंचाई लिए जाने के कारण संविदाकारों को ₹0.59 लाख का अधिक भुगतान

नगर परिषद रोहड़ू ने अपने परिक्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित Retaining Wall के निर्माण हेतु Horizontal bottom bond की ऊंचाई 0.60 मीटर ली गई थी जबकि निर्धारित मानक अनुसार यह ऊंचाई 0.30 मीटर ली जानी अपेक्षित थी। जिस के कारण संविदाकारों को निम्नविवरणानुसार ₹58977 का अधिक भुगतान किया गया था । अतः संविदाकारों को किए गए ₹58977 के अधिक भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

Retaining Wall के विभिन्न प्रकरणों में निर्धारित मानकों से अधिक Horizontal Bottom Bond की ऊंचाई लिए जाने के कारण संविदाकारों को ₹58977 का अधिक भुगतान किए जाने का विवरण।

Name of Work	**Name of Item /item No**	**Voucher No/Date**	**M.B. No/ page No**	**Quantity as per M.B.**	**Quantity as per Audit**	**Excess Quantity**	**Rate per m^3 (₹)**	**Excess paid (₹)**
Const. of Brest wall in path at Bharanta house R.D. 0 to 15	Stone Masonry in Cement motor in 1:6 (Bottom Bond)	32/ 19.12.15	21/7	15x (1.20+1.15/2) 0.60 = 10.57 m^3	15x (1.20+1.15/2) 0.30 = 5.28 m^3	5.28 m^3	2793.77	14772
Const. of Brest wall in path at Bharanta house R.D. 30 to 15	Stone Masonry in Cement motor in 1:6 (Bottom Bond)	20/ 5.5.2016	21/49	15x (1.20+1.15/2) 0.60 = 10.57 m^3	15x (1.20+1.15/2) 0.30 = 5.28 m^3	5.28 m^3	2793.77	14772
Const of Road from Fire station to I.P.H Sub division phase-1	Stone Masonry in Cement motor in 1:6 (Bottom Bond)	24/ 4.7.2015	20/21	12.5(1.38+1.30/2) 0.60= 10.05 m^3	12.5(1.38 +1.30/2) 0.30= 10.05 m^3	5.025 m^3	2793.77	14039

Const of Road from main road to Dutta house R.D 25 to 37	Stone Masonry in Cement motor in 1:6 (Bottom Bond)	33/ 13.10.2015	20/86	12(1.58+1.48/2) 0.60=11.01 m^3	12(1.58+1.48/2) 0.30=5.51 m^3	5.51m^3	2793.77	15394
Total								**58977**

उपरोक्त के संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 19/2018 दिनांक 22.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

14.3 निर्माण कार्यों के भुगतान बिलों से रायल्टी की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को ₹0.55 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाना

Principal Secretary (Industry) to the Govt.of H.P.के पत्र सं० खण्ड-II(एफ०)6-5/2006, दिनांक 16.01.2012 और पत्र संख्या 5-49/79 Ind(Glg) Rules-2015-Vol-IV-1175 दिनांक 12.05.2015 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन , पत्थर, रेत, बजरी, चूनापत्थर, संगमरमर आदि के खनन पर निर्धारित दरों के अनुसार रायल्टी देय है। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान संविदाकारों के विभिन्न निर्माण कार्यों से संबन्धित चलित बिलों के लिए किए गए भुगतानों की पड़ताल करने पर पाया गया कि कुछ प्रकरणों में जिनका विवरण **परिशिष्ट-झ** पर संलग्न किया गया हैं, संविदाकारों के भुगतान बिलों से संविदाकार द्वारा निर्माण कार्यों में उपयोग में लाये गए पत्थरों के संदर्भ में न तो रायल्टी की कटौती की गई थी और नही उपलब्ध अभिलखों में फॉर्म एम० संलग्न किए गए थे जबकि नियमानुसार संविदाकार के निर्माण कार्यों के बिलों से पत्थरों की प्रमात्रा के लिये नगर परिषद स्तर पर रॉयलिटी की कटौती की जानी अपेक्षित थी । इस अनियमितता के परिणाम स्वरूप संविदाकारों के भुगतान बिलों से पत्थरों के संदर्भ में **परिशिष्ट "झ"** में दिए विवरणानुसार रायल्टी ₹55140 की कटौती न करके जहाँ एक और संविदाकारों को अनुचित

लाभ दिया गया वही दूसरी और सरकार को परोक्ष रूप सेराजस्व की हानि पहुंचाई गई है । अत: वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए संविदाकारों को निर्माण बिलों का भुगतान करने से पूर्व **फार्म एम.**प्राप्त किया जाए अन्यथा भुगतान बिलों से देय दरों से रायल्टी की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त के संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12/2018 दिनांक 21.03.2018 के प्रत्युतर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना सेअंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

14.4 Providing/LayingC:C: 1:4:8 in Middle of Wall की प्रमात्रा की चौड़ाई अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान

उक्त निर्माण कार्य की मापपुस्तिका में दर्ज रिकार्ड प्रविश्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुबंध की मदसंख्या 6 i.e Dry masonry in Retaining wall के पश्चात मद संख्या 4 i.e Providing/LayingCC 1:4:8का निष्पादन किया गया था और मदसंख्या 4 की चौड़ाई अनुबंध की मदसंख्या 6 i.e Dry masonry in Retaining wall के बराबर ली जानी अपेक्षित थी परंतु उक्त निर्माण कार्य में अधिक चौड़ाई लिए जाने के कारण संविदाकार को निम्न विवरण अनुसार ₹4088/- का अधिक भुगतान किया गया। अत: संविदाकार को किए गए ₹4088/- के अधिक भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

Name of work	M.B. No /Page no	Name of item /item no	Quantity as per M.B.	Quantity as per Audit	Excess quantity	Rate per m^3	Excess payment
Road from Anupam hotel ti pubber river R.D. 65 to 78	21/55	Dry masonry in Retaining wall (6)	8.70x(1.74+0.95)/2x1.90=22.23 m3	8.70x(1.74+0.95)/2x1.90=22.23 m3	nil	-	-
		P/L C:C 1:4:8 in middle of wall (4)	13.50x1.27x0.15=2.57m3	13.50x0.95x0.15 =1.92 m3	0.65m3	3144	2044

Road from Anupam hotel ti pubber river R.D. 78 to 92	21/61	Dry masonry in Retaining wall (6)	8.70x(1.74+0.95/2)x1.90=22.23 m3	8.70x(1.74+0.95/2)x1.90=22.23 m3	nil	-	-
		P/L C:C 1:4:8(4)	13.50x1.27x0.15=2.57m3	13.50x0.95x0.15=1.92 m3	0.65m3	3144	2044
Total							**4088**

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 24/2018 दिनांक 23.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

14.5 Stone filling की प्रमात्रा की चौड़ाई अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक

वाऊचर संख्या 38 दिनांक 24.12.2015 ₹127899

कार्य का नाम	Const. of Road near girls School Ward no -1 (Const.ofRetainingWall)
माप पुस्तिका संख्या/ पृष्ठ संख्या	21/1
अनुबंध संख्या/ आबंटन पत्र संख्या	MC/works/2015/344-346 dated 2.9.2015
संविदाकार का नाम	Sh. Amit Nepta
रनिंग बिल संख्या	1st& Final Bill

उक्त निर्माण कार्य के 1st& final Running **बिल की** रिकार्ड प्रविष्टियों का **अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुबंध की मद संख्या**(7) Stone filling behind Retaining wall के निष्पादन में Stone filling **की प्रमात्रा की चौड़ाई** निर्धारित **मानको के अनुसार** 0.60 mtr लेने की अपेक्षा 0.80 mtr **ली गई थी** । अतः **अधिक चौड़ाई लिए जाने के कारण संविदाकार को** निम्न विवरणानुसार ₹2066 **का अधिक भुगतान किया गया।** जिसको या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Name of Item /Item no	M.B. No /Page no	Quantity as per M.B.	Quantity as per Audit	Excess Quantity	Rate of Item (₹)	Excess Paid (₹)
Stone filling behind Retaining wall (7)	21/14	10.60x0.80x1.50 =12.72 m^3	10.60x0.60x1.50 =9.53 m^3	3.18.m^3	649.76	2066
Total						**2066**

उपरोक्त के संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18/2018 दिनांक 21.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

14.6 मस्ट्रोल के अन्तर्गत निष्पादित किए गए विभागीय निर्माण कार्यों के मूल्य का आंकलन (Value of work done) करते समय कार्य मद की दर में से नियमानुसार 10% संविदाकार लाभ और 5% ओवरहैड चार्जिस की कटौती न किए जाने के कारण ₹0.20 लाख का अनियमित भुगतान

नियमानुसार विभागीय निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मस्ट्रौल पर रखे गये मजदूरों को जो भुगतान किया जाता है उसको न्याय संगत सिद्ध करने हेतु निष्पादित कार्यों के मूल्य का आंकलन (Value of work done) कार्य मद की अनुसूची दर मे से 10% संविदाकार लाभ और 5% ओवरहैड चर्जिज की कटौती करके किया जाना अपेक्षित है तथा मस्ट्रोल द्वारा मजदूरी का दावा निष्पादित निर्माण कार्य के मूल्यांकन से अधिक नहीं होना चाहिए। अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों के दौरान विभागीय निर्माण कार्यों के संदर्भ में विभिन्न मस्ट्रोलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि मस्ट्रोल पर रखे गये मजदूरों को किए गए भुगतान को न्याय संगत सिद्ध करने हेतु निष्पादित कार्यों का मूल्यांकन कार्यमद की अनुसूची दर में से उक्त वर्णित नियमानुसार वांछित 10% ठेकेदार लाभ और 5% ओवरहैड चर्जिज की कटौती

नहीं की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में विभागीय निर्माण कार्यों पर परिशिष्ट–ञ में दिए विवरणानुसार ₹20452/- का व्यय निष्पादित निर्माण कार्य के मूल्य से अधिक किया था जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार वर्णित अनियमितता को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अनियमित व्यय की उचित स्त्रोत से वसूली करते हुए भविष्य में उक्त नियमों की अनुपालना करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 15/2018 दिनांक 21.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना सेअंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

14.7 क्रय की गई निर्माण सामग्री से नियमानुसार वाइड्स (voids) की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय 10 एम०एम० से लेकर 40 एम०एम० की बजरी तथा पत्थरों की आपूर्ति पर भुंगतान से पूर्व voids की कटौती नहीं की गई थी जबकि नियमानुसार 10 एम०एम० से लेकर 20 एम०एम० तक की बजरी पर 5% तथा 25 एम०एम० से 40 एम०एम० तक की बजरी पर 10% की दर से और पत्थरों की आपूर्ति पर 12.5% की दर से voids की कटौती करने के उपरान्त भुगतमान किया जाना अपेक्षित था। इस अनियमितता के परिणामस्वरूप अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में क्रय निर्माण सामग्री परvoids की कम कटौती के कारण निम्न विवरणानुसार कुल ₹8799 का आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान किया गया जिसको नियमानुसार या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान ₹8799/- की वसूली उचित स्त्रोत से करने के साथ–2 भविष्य में नियमानुसार ही निर्माण सामग्री परvoids की कटौती करके भी अवगत करवाया जाएः–

Detail of Overpayment due to non deduction of Voids									
Voucher No & Date	Name of work	Name of Supplier	MB No & Page No	Name of item Purchased	Quantity in m^3	Rate of voids	Quantity of voids for which payment made in m^3	Rate Per Cum	Amount of excess payment
30 of 18.12.2015	Departmental work	Shakti Rana	21/3	soling stone	49.14	12.50%	6.14	1000	6140.00
30 of 18.12.2015	Departmental work	Shakti Rana	21/3	aggregate 40mm	4.94	10%	0.49	1250	612.50
30 of 18.12.2015	Departmental work	Shakti Rana	21/3	aggregate 20mm	9.53	5%	0.48	1850	888.00
37 of24.12.2015	Departmental work	Shakti Rana	21/11	aggregate 40mm	7.15	10%	0.72	1250	900.00
				aggregate 20mm	2.85	5%	0.14	1850	259.00
								Total	8799.50

उपरोक्त के संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14/2018 दिनांक 21.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना सेअंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

14.8 सरकारी दर/दरसंविदा' पर सीमेंट का क्रय न करने के कारण ₹0.87 लाख का अनियमित व्यय

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा विभागीय स्तर पर मस्ट्रोल के माध्यम से विभिन्न निर्माण कार्यों का निष्पादन किया गया। जिस हेतु सीमेंट नियन्त्रित सरकारी दर/दर संविदा' पर क्रय न करके खुले बाज़ार से उच्च दर पर क्रय किया गया जो कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हैं। क्योंकि यदि सरकारी नियन्त्रित दरों/दर संविदा पर सीमेंट का क्रय करके प्रयोग किया जाता तो निष्पादित निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय/मूल्य कम होता। अतः वर्णित अनियमितता के परिणामस्वरूप निर्माण कार्यों में सीमेंट की खपत पर निम्नविवरणानुसार ₹87000/- का अधिक व्यय किया गया जिसको या तो न्यायोचित ठहराते हुए सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाये अन्यथावर्णित राशि की

उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

Detail of excess payment for purchase of cement

Voucher No and date	No. of bag of cement Purchased	Amount paid (₹)	Rate of per bag Cement Purchasedfrom Open Market (₹)	Rate per bag of Civil SupplyatRohru Depo. (₹)	Difference of rate per bag between Open market rate & Civil Supply (₹)	Excess Paid (₹)
24 of 1.6.2015	200	69000	345	264	81	16200
23 of 1.8.2015	400	138000	345	264	81	32400
29 of 6.10.2015	400	144000	360	264	96	38400
Total						**87000**

उपरोक्त के संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13/2018 दिनांक 21.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना सेअंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

14.9 निर्माण कार्यो को तीन/पाँच लाख से कम भागो में बांटकर आबंटन करने के कारण ₹6.64 लाख का अनियमित व्यय

Himachal Pradesh Municipal Works Rule 2010 के नियम 3(1) अनुसार नगर पालिका को केवल पाँच लाख तक के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है तथा नियम4(2) के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता को केवल तीन लाख व सहायक अभियन्ता को दस लाख तक के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है। अंकेक्षण में नगर परिषद के विभिन्न निर्माण कार्य की पड़तालकरने पर पाया गया कि परिषद ने प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति को Avoid करने के लिए एक ही प्रकार के विभिन्न निर्माण कार्य को अलग अलग कार्यो मे बांटकर अपने स्तर पर ही प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गईजो कि वर्णित नियमों की अनदेखी करने के

कारण गंभीर वित्तीय अनियमितता है इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यो को अलग-2 भागो में बांटने के कारण इन कार्यो पर समाचार पत्रों के माध्यम से अलग2 विज्ञापन पर भी अधिक व्यय किया गया। अतः **₹664449/-** के निर्माण कार्य जिसका विवरण निम्न दिया गया है, को अलग-2 भागो में बांट कर आबंटन करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इस गंभीर वित्तीय अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

Detail of Work which was splitup to avoid Technical Sanction of Higher Authorities.

Sr. No.	Name of Work	Award Letter No. &Date of Award	Name of Contractor	Gross Amount of Bill (₹)
1	Road from Anupam hotel to Pabber river co Retaiing wall R.D 78 to 92	mc/works/2015--368-370 dated 2.9.2015	Satish Kumar	**131663**
2	Road fron Anupam hotel to Pabber river co Retaiing wall R.D 65 to 78	mc/works/2015--365-367 dated 2.9.2016	Harpal Singh	**132166**
3	Const of Retaining Wall in front of negi House wardv no-4 phase-1	mc works /2015 353-355 dated 2.9.2015	Chetan Chauhan	**79258**
4	Const of Retaining wall in Front of negi house seri ward no 4 Phase -II	mc works /2015 350-352 dated 2.9.2015	Chetan Chauhan	**79330**
5	Const of Brest wall in path near Branta House R.D. 0 to 15	mc works /2015 341-343 dated 2.9.2015	Shakti Rana	**129452**
6	Brest wall in path Bharnta house R.D.30 to 45	mc/rhu/supply/2015--533-537 dated 2.9.2015	Amit Nepta	**112580**
	Total			**664449.00**

उपरोक्त के संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 20/2018 दिनांक 22.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना सेअंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

14.10 संविदाकारों के चलित बिलों से श्रम उपकर ₹0.20 लाख की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान

भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम1996 की अनुपालना में प्रदेश सरकार द्धारा कुल निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर उद्ग्रहीत करते हुए दिसम्बर, 2008 में नियम बनाये गए कि ऐसे एकाकी रिहायशी आवासों जिनकी कुल निर्माण लागत ₹10 लाख से अधिक नहीं थी तथा प्रत्येक स्थापना जो किसी भवन अथवा अन्य निर्माण कार्यों में 10 या अधिक कर्मियों को रोजगार देते हैं , उपकर अधिनियम के अन्तर्गत उपकर के भुगतान हेतु उत्तरदायी हैं।अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्धारा विभिन्न प्रकरण जिसका विवरण **परिशिष्ट-ट** दिया गया है, में विभिन्न संविदाकारों को नगर परिषद क्षेत्र के भीतर उनके द्धारा परिचालित कार्यो के आधार पर ₹20 लाख का भुगतान किया गया किन्तु इन ठेकेदारों के बिलों से एक प्रतिशत की दर से **परिशिष्ट "ट"** मे वर्णित विवरणानुसार ₹20002 की उपकर की कटौती नहीं की गयी थी। जोकि उपरोक्त अधिनियम की उलंघना है तथा इस प्रकार जहाँ ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया प्रतीत होता है वहीं निर्माण कामगारों के कल्याणकारी उपायों हेतु ₹20002/- की राशि का भी प्रेषण नहीं हुआ। अत: संविदाकारों के निर्माण बिलों से श्रम उपकर की कटौती न किए जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा वर्णित राशि की वसूली संविदाकारों से करते हुए सम्बन्धित बोर्ड में जमा करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17/2018 दिनांक 21.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

14.11 निर्माण कार्यों के निष्पादन में उपयोग किए जा रहे सीमेंट, सरिया, एवं तारकोल (Bitumen) को नगर परिषद द्धारा अपने स्टॉक/स्टोर से जारी न करना

निर्माण कार्य बिलों की पड़ताल पर पाया गया कि परिषद द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु संविदाकारों को सीमेंट,सरिया, एवं तारकोल (Bitumen) अपने स्टॉक /स्टोर से जारी नहीं किया जा रहा था जबकि निर्माण कार्यों की उच्च गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अपने स्टॉक/स्टोर से सीमेंट एवं सरिया जारी किया जाना आवश्यक हैं और संविदाकार द्वारा अपने आप सीमेंट ,सरिया, एवं तारकोल (Bitumen) खुले बाजार से क्रय करके उपयोग किए जाने से यह संभावना बनी रहती कि ज्यादा लाभ कमाने के प्रयास में उनके द्धारा निर्माण कार्यों के निष्पादन में घटिया किस्म का सीमेंट,सरिया, एवं तारकोल (Bitumen) का उपयोग न किया गया हो। अत: परामर्श दिया जाता हैं कि भविष्य में नगर परिषद के निर्माण कार्यों हेतु सीमेंट,सरिया, एवं तारकोल अपने स्टॉक एवं स्टोर से जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए और यदि सीमेंट,सरिया, एवं तारकोल अपने स्टॉक एवं स्टोर से जारी नहीं किया जाता तो संविदाकारों से निर्माण कार्यों में उपयोग किए गए सीमेंट,सरिया, एवं तारकोल इत्यादि की खरीद से संबन्धित बिल उन्हें भुगतान करने से पूर्व अभिलेख में लेने सुनिश्चित किए जाए ताकि निर्माण कार्यों में उपयोग सामग्री की गुणवत्ता सत्यापित हो सके।

उपरोक्त के संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08/2018 दिनांक 16.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 से सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

14.12 हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों की अवहेलना करके संविदाकारों के चलित बिलों से 3% बिक्रीकर के स्थान पर 2% बिक्रीकर की कटौती किए जाने के परिणामस्वरूप ₹0.20 लाख के राजस्व की बिक्रीकर हानि

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) , हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: ई ॰एक्स॰एन॰-एफ(10)-2/2015-लूज, दिनांक 03-6-2015 द्वारा अधिसूचित तथा तदानुसार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश सरकार , दिनांक 06-6-2015 में प्रकाशित Himachal Pradesh Value Added Tax (3rd Amendment) Rules, 2015 के नियम 38 के अनुसार

अधिसूचना की तिथि से सभी निर्माण कार्य के ठेकेदारों से 3% बिक्रीकर की कटौती की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौराननगर परिषद द्वारा किए गए निर्माणकार्यों के विभिन्न भुगतान बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा संविदाकारों के चलित बिलों से 3% की अपेक्षा 2% बिक्रीकर की ही कटौती की गई थी जिसके परिणामस्वरूप परिशिष्ट "ठ" में वर्णित विवरण अनुसार ₹19997 की संविदाकारों के भुगतान बिलों से कम कटौती की गई जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है । अतः वर्णित अनियमितता का या तो सम्बन्धित नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16/2018 दिनांक 21.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना सेअंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

15 डीजल स्टॉक रजिस्टर में 68 लीटर डीजल की अधिक खपत दर्शाये जाने के कारण₹0.03 लाख की वित्तीय हानिः'–

डीजल स्टॉक रजिस्टर की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न कार्य दिवसों को 68 लीटर डीजल Municipal Tractor और Dumper Placer हेतु जारी किया दर्शाया गया था। परन्तु Municipal Tractor और Dumper Placer की लॉग पुस्तिका में इस संदर्भ में कोई भी प्रविष्टि दर्ज नहीं पाई गई। इस प्रकार 68 लीटर डीजल के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता तथा इस अनियमितता के कारण म्यूनिसिपल निधि को निम्नविवरणानुसार ₹3311 की वित्तीय हानि हुई है । अतः वर्णित अनियमितता की पूर्ण छानबीन करके या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹3311/- की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

Diesel Stock Register Page No.	Date	Qty of Diesel	Rate of Diesel Per Ltr. (₹)	Total Amount (₹)
27	05.12.2015	34Ltr.	48.76	1657.84
31	23.05.2016	34Ltr.	48.61	1652.74
			Total	**3310.58**

16 वाहनों की औसत डीजल खपत निर्धारित न करना

हि०प्र० वित्त विभाग के पत्र संख्या: फिन- I-सी०(14)1/83, दिनांक 8.9.1987 के अनुसार विभागों के नियन्त्रण अधिकारी प्रति वर्ष वाहनों का टेस्ट लेंगे व माइलेज को लॉग बुक में दर्ज करेंगे तथा चालक यह माइलेज बनाए रखेंगे। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद के पास 5 वाहन हैं जिनमें 2 डंपर प्लेसर व 3 ट्रैक्टर हैं जिनको परिषद की सीमा के भीतर कूड़ा-कर्कट उठाने व फैंकने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वाहनों की लॉग बुक का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा किसी भी वाहन की माइलेज निर्धारित नहीं की गयी थी जिसके अभाव में डीजल की खपत पर परिषद का कोई नियन्त्रण नहीं है। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति उठाई गयी थी परन्तु इसके बावजूद भी परिषद द्वारा कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी जो किएक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रति वर्ष नियमानुसार समस्त वाहनों की प्रति कि० मी० माइलेज निर्धारित करके लॉग बुक्स में दर्ज की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक माह के अन्त में डीजल की प्रति कि० मी० वास्तविक औसत खपत का नियन्त्रण अधिकारी द्धारा निर्धारित औसत खपत से मिलान करके डीजल की औसत खपत पर नियन्त्रण रखा जा सके व किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके।

17 स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार न करना

अंकेक्षण में विभिन्न स्टॉक रजिस्टरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया गया था। स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की प्रविष्टि बिल अनुसार की गई थी, और सामान की एक मुश्त खपत दर्शाई गई थी। जोकि नियमानुसार नहीं थी क्योंकि क्रय मदों की स्टॉक रजिस्टरों में प्रविष्टि व खपत itemwise पृथक पृष्ठ पर की जानी अपेक्षित है ताकि एक विशेष तिथि को इनके शेष की जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो सके। अत: नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) न करना

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43(सी) में प्रावधान किया गया हैं कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगर पालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से किया जायेगा साथ ही प्रत्यक्ष सत्यापन और किताबी अभिलेख में अंतर पाये जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाए जाएगें। स्टॉक/स्टोर के प्रत्यक्ष सत्यापन के संदर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू द्वारा मौखिक तौर से अंकेक्षण को सूचित किया कि अवधि 01.04.2015 से 31.03.2017 के दौरान नगर परिषद के स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया हैं जिसे नियमानुसार शीघ्र अति शीघ्र किया जायेगा। अत: हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43(सी) के अनुसार स्टॉक/स्टोर का वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07/2018 दिनांक 16.03.2018 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू ने पत्र संख्या MC

Rohru/2018-1219 दिनांक 24.03.2018 द्वारा सूचित किया कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना सेअंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा।

19 **लघु आपत्ति विवरणिका**:- यह अलग सें जारी नहीं कि गई हैं क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अकेंक्षण के दौरान कर लिया गया।

20 **निष्कर्ष :-** लेखाओं के रख रखाव मेंऔर सुधार की आवश्यकता हैं।

हस्ता / –
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.
फोन नं0 0177–26020881

पृष्ठांकन संख्या :– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(5)64 / 76 खण्ड–III,-6094-6095 दिनांकः–14.09.18 शिमला–171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत :

1 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रोहड़ू, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्याः1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता / –
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.
फोन नं0 0177–26020881

परिशिष्ट–'क'

पैरा संख्याः 1 (ग) में वर्णित

(क) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1978 से 3/1981

1	पैरा 2 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 2 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत
4	पैरा 6	अनिर्णीत
5	पैरा 7 (ए से एच)	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 11 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा 11 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(सी)	अनिर्णीत
12	पैरा 15	अनिर्णीत
13	पैरा 17	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1981 से 3/1982

1	पैरा 3 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 3 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 3 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 3 (डी)	अनिर्णीत
5	पैरा 5 (ए)	अनिर्णीत
6	पैरा 5 (बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 6 (ए)	अनिर्णीत

8	पैरा 6 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा 6 (सी)	अनिर्णीत
10	पैरा 7 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा 7 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा 7 (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा 7 (डी)	अनिर्णीत
14	पैरा 7 (जी)	अनिर्णीत
15	पैरा 7 (एच)	अनिर्णीत
16	पैरा 7 (आई)	अनिर्णीत
17	पैरा 9	अनिर्णीत
18	पैरा 10	अनिर्णीत
19	पैरा 11 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा 11 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा 12	अनिर्णीत
22	पैरा 14	अनिर्णीत
23	पैरा 15	अनिर्णीत
24	पैरा 16	अनिर्णीत
25	पैरा 17	अनिर्णीत
26	पैरा 18	अनिर्णीत
27	पैरा 19	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1992

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (ख)	अनिर्णीत

4	पैरा 7 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10 (क से ङ)	अनिर्णीत
9	पैरा 11 (क)	अनिर्णीत
10	पैरा 11 (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 11 (ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 11 (घ)	अनिर्णीत
13	पैरा 12 (ङ)	अनिर्णीत
14	पैरा 12 (च)	अनिर्णीत
15	पैरा 12 (झ)	अनिर्णीत
16	पैरा 12 (ञ)	अनिर्णीत
17	पैरा 12 (ट)	अनिर्णीत
18	पैरा 12 (ठ)	अनिर्णीत
19	पैरा 12 (ड)	अनिर्णीत
20	पैरा 12 (ढ) (1)	अनिर्णीत
21	पैरा 13	अनिर्णीत
22	पैरा 14	अनिर्णीत
23	पैरा 15 (क)	अनिर्णीत
24	पैरा 15 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा 16	अनिर्णीत
26	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत
27	पैरा 17 (ख)	अनिर्णीत

28	पैरा 18 (ख)	अनिर्णीत
29	पैरा 19	अनिर्णीत
30	पैरा 20	अनिर्णीत
31	पैरा 21	अनिर्णीत
32	पैरा 22	अनिर्णीत
33	पैरा 23 (क)	अनिर्णीत
34	पैरा 23 (ख)	अनिर्णीत
35	पैरा 23 (घ)	अनिर्णीत
36	पैरा 23 (ङ)	अनिर्णीत
37	पैरा 23 (च) (1)	अनिर्णीत
38	पैरा 23 (च) (2)	अनिर्णीत
39	पैरा 24 (क)	अनिर्णीत
40	पैरा 24 (ख)	अनिर्णीत
41	पैरा 25	अनिर्णीत
42	पैरा 26	अनिर्णीत
43	पैरा 29	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1996

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 10 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 10 (छ)	अनिर्णीत
6	पैरा 10 (ठ)	अनिर्णीत
7	पैरा 10 (ड)	अनिर्णीत

8	पैरा 10 (ण)	अनिर्णीत	
9	पैरा 10 (त)	अनिर्णीत	
10	पैरा 10 (थ)	अनिर्णीत	
11	पैरा 10 (फ)	अनिर्णीत	
12	पैरा 10 (ब)	अनिर्णीत	
13	पैरा 10 (भ)	अनिर्णीत	
14	पैरा 10 (र)	अनिर्णीत	
15	पैरा 12	अनिर्णीत	
16	पैरा 13 (i से vii)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
17	पैरा 13 (ix)	अनिर्णीत	

(ङ) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2007

1	पैरा 3 (3)	अनिर्णीत	
2	पैरा 3 (4)	अनिर्णीत	
3	पैरा 4 (4)	अनिर्णीत	
4	पैरा 4 (11)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4 (12)	अनिर्णीत	
6	पैरा 5 (2)	अनिर्णीत	
7	पैरा 5 (3)	अनिर्णीत	
8	पैरा 5 (7)	अंशत निर्णीत	(क्र0 सं0 4, 8, 11 व 12 पर कार्रवाई शेष है)
9	पैरा 5 (8)	अनिर्णीत	
10	पैरा 5 (9)	अनिर्णीत	
11	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत	
12	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत	

13	पैरा 6 (4)	अनिर्णीत
14	पैरा 6 (5)	अनिर्णीत
15	पैरा 6 (7)	अनिर्णीत
16	पैरा 6 (8)	अनिर्णीत
17	पैरा 6 (9)	अनिर्णीत
18	पैरा 6 (10)	अनिर्णीत
19	पैरा 6 (15)	अनिर्णीत
20	पैरा 6 (16)	अनिर्णीत
21	पैरा 6 (17)	अनिर्णीत
22	पैरा 6 (18)	अनिर्णीत
23	पैरा 6 (19)	अनिर्णीत
24	पैरा 6 (20)	अनिर्णीत
25	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत
26	पैरा 7 (3)	अनिर्णीत
27	पैरा 7 (5) (1)	अनिर्णीत
28	पैरा 7 (5) (2)	अनिर्णीत
29	पैरा 7 (5) (3)	अनिर्णीत
33	पैरा 7 (5) (4)	अनिर्णीत
31	पैरा 7 (5) (6)	अनिर्णीत
32	पैरा 7 (6)	अनिर्णीत
33	पैरा 7 (7)	अनिर्णीत
34	पैरा 7 (8) (1)	अनिर्णीत
35	पैरा 7 (8) (2)	अनिर्णीत
36	पैरा 7 (9) (1)	अनिर्णीत

37	पैरा 7 (9) (2)	अनिर्णीत
38	पैरा 7 (10) (1)	अनिर्णीत
39	पैरा 7 (10) (2)	अनिर्णीत
40	पैरा 7 (10) (3)	अनिर्णीत
41	पैरा 7 (11)	अनिर्णीत
42	पैरा 7 (12)	अनिर्णीत
43	पैरा 7 (13)	अनिर्णीत
44	पैरा 7 (14)	अनिर्णीत
45	पैरा 7 (15)	अनिर्णीत
46	पैरा 7 (16)	अनिर्णीत
47	पैरा 8 (1)	अनिर्णीत
48	पैरा 8 (3)	अनिर्णीत
49	पैरा 9	अनिर्णीत
50	पैरा 10 (3)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा 12	अनिर्णीत
2	पैरा 13 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा 13 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 15	अनिर्णीत
6	पैरा 16	अनिर्णीत
7	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा 17 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 17 (ग)	अनिर्णीत

10	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत	
11	पैरा 18 (ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा 18 (ग)	अनिर्णीत	
13	पैरा 18 (घ)	अनिर्णीत	
14	पैरा 19 (क)	अनिर्णीत	
15	पैरा 20	अनिर्णीत	
16	पैरा 21 (क)	अनिर्णीत	
17	पैरा 22 (ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा 27 (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा 27 (ग)(घ)	अनिर्णीत	
20	पैरा 29	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त)
21	पैरा 30	अनिर्णीत	
22	पैरा 31	अनिर्णीत	
23	पैरा 32	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन मे पुनः प्रारूपित)
24	पैरा 33	अनिर्णीत	
25	पैरा 34	अनिर्णीत	
26	पैरा 36	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 6	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त)
3	पैरा 7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
4	पैरा 8 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

5	पैरा 8 (ख)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त)
6	पैरा 8 (ग)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
7	पैरा 9 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
8	पैरा 9 (ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा 10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
10	पैरा 11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
11	पैरा 13	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
12	पैरा 15 (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा 16	अनिर्णीत	
14	पैरा 17	अनिर्णीत	
15	पैरा 20	अनिर्णीत	
16	पैरा 21 (क)	निर्णीत	(शेष ₹10912 की राशि की वसूली वा0 संख्या 19 दिनांक 03/2017 से करने के पश्चात)
17	पैरा 21 (ख)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त)
18	पैरा 25 (क)	अनिर्णीत	
19	पैरा 26 (क से घ)	अनिर्णीत	
20	पैरा 27 (क से ग)	अनिर्णीत	
21	पैरा 28	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2015

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹52000 बैंक ड्राफ्ट संख्या 884487 दिनांक 4.10.2016 को प्रेषित करने के उपरान्त)
2	पैरा 4 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 4 (ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
4	पैरा 4 (ग) (i) से (iv)	अनिर्णीत	
5	पैरा 5 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
6	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा 5 (ग)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त)
8	पैरा 6 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
9	पैरा 6 (ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
10	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा 7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
12	पैरा 8 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
13	पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा 8 (ग) (i)	अनिर्णीत	
15	पैरा 8 (ग) (ii)	अनिर्णीत	

16	पैरा 8 (ग) (iii)	अनिर्णीत	
17	पैरा 8 (घ)	अनिर्णीत	
18	पैरा 8 (ङ)	अनिर्णीत	
19	पैरा 9 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
20	पैरा 9 (ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा 10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
22	पैरा 11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
23	पैरा 12	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
24	पैरा 13	अनिर्णीत	
25	पैरा 14	अनिर्णीत	
26	पैरा 15	अनिर्णीत	
27	पैरा 16	अनिर्णीत	
28	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत	
29	पैरा 17 (ख)	अनिर्णीत	
30	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत	
31	पैरा 18 (ख)	अनिर्णीत	
32	पैरा 19	अनिर्णीत	
33	पैरा 20	अनिर्णीत	
34	पैरा 21	अनिर्णीत	
35	पैरा 22 (क)	अनिर्णीत	
36	पैरा 22 (ख)	अनिर्णीत	

37	पैरा 23	अनिर्णीत	
38	पैरा 24	अनिर्णीत	
39	पैरा 25	अनिर्णीत	
40	पैरा 26	अनिर्णीत	
41	पैरा 27	अनिर्णीत	
42	पैरा 28	अनिर्णीत	
43	पैरा 29	अनिर्णीत	
44	पैरा 30	अनिर्णीत	
45	पैरा 31	निर्णीत	(श्री संजीव भांटा, कनिष्ठ सहायक से ₹60786 की वसूली जी 8 रसीद संख्या 9633 / 97 दिनांक 5.4.2018 और 9695 / 87 दिनांक 10.4.18 और ₹3000 की वसूली वेतन बिल संख्या 25 मास 04 / 2016, 35 मास 05 / 2016 एवं 01 मास 06 / 2016 से करने और श्री कांशी राम, चालक से ₹27216 की वसूली जी8 रसीद संख्या 9696 / 97 दिनांक 10.4.18 से करने एवं अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के उपरान्त)
46	पैरा 32 (क)	अनिर्णीत	
47	पैरा 32 (ख)	अनिर्णीत	
48	पैरा 33	अनिर्णीत	
49	पैरा 34	निर्णीत	(₹1425 की वसूली जी8 रसीद संख्या 70 / 6978 दिनांक 4.4.2016 को करने के पश्चात)
50	पैरा 35	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त)
51	पैरा 36	अनिर्णीत	
52	पैरा 37	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त)
53	पैरा 38 (क)	अनिर्णीत	
54	पैरा 38 (ख)	अनिर्णीत	
55	पैरा 38 (ग)	अनिर्णीत	

56	पैरा 38 (घ)	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त)
57	पैरा 39 (क)	अनिर्णीत	
58	पैरा 39 (ख)	अनिर्णीत	
59	पैरा 39 (ग)	अनिर्णीत	
60	पैरा 39 (घ)	अनिर्णीत	
61	पैरा 39 (ङ)	अनिर्णीत	
62	पैरा 40	निर्णीत	(आपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त)
63	पैरा 41	अनिर्णीत	
64	पैरा 41 (क)	अनिर्णीत	
65	पैरा 41 (ख)	अनिर्णीत	
66	पैरा 41 (ग)	अनिर्णीत	
67	पैरा 41 (घ)	अनिर्णीत	
68	पैरा 41 (ङ)	अनिर्णीत	
69	पैरा 41 (च)	अनिर्णीत	
70	पैरा 42	अनिर्णीत	
71	पैरा 43 (क)	अनिर्णीत	
72	पैरा 43 (ख)	अनिर्णीत	
73	पैरा 43 (ग)	अनिर्णीत	
74	पैरा 43 (घ)	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

1.4.15 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	271
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	17
(−) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	34
31.3.17 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	254